

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1 - 2

राजभवन हेतु फर्नीचर मद में रुपये 2.50 लाख एवं उपकरण मद में रुपये 2.50 लाख वर्ष के दौरान कुल राशि रुपये 5.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

राजभवन में बिजली पानी एवं आतिथ्य व्यय मद हेतु वर्ष के दौरान रुपये 20.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 5 - 8

माननीय मंत्रियों के वेतन में वृद्धि की गई है। जिसके कारण वर्ष के दौरान राशि रुपये 3.182 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,18,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

माननीय मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले वैवेकिक अनुदान की सीमा में वृद्धि की गई है। जिसके कारण वर्ष के दौरान रुपये 681.80 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,81,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 10

लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा संचालित किये जाने हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 18.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,11,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 11

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिये सातवें वेतनमान के भुगतान हेतु वेतन मद में वर्ष के दौरान रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

मंत्रालय वल्लभ भवन में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु वर्ष के दौरान रुपये 50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 13 - 14

महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अंतर्गत नवीन वाहनों का क्रय मद में रुपये 23.00 लाख एवं वाहनों का प्रतिस्थापन मद में रुपये 34.00 लाख इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल राशि रुपये 57.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अंतर्गत गोपनीय सेवा व्यय मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 25.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 16

प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 27.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल में अधिकारियों के निवास के लिये अकादमी में निर्मित छात्रावास के 20 कमरों का रिनोवेशन किया जाना है। इस कार्य के लिये वर्ष के दौरान रुपये 4.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 19

लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश के लिये वाहन क्रय हेतु रुपये 20.00 लाख एवं प्रशिक्षण/विदेश यात्रा हेतु राशि रुपये 16.00 लाख का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2251

मद क्रमांक 20

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिये सातवें वेतनमान के भुगतान हेतु वेतन मद में वर्ष के दौरान रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 21

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिये सातवें वेतनमान के भुगतान हेतु वेतन मद में वर्ष के दौरान रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1

स्व. देवी प्रसाद शर्मा की स्मृति में रुपये 1.00 लाख के पुरस्कार की राशि कर्मचारियों के उत्तम कार्य करने के फलस्वरूप दी जाना है। अतः इस वित्तीय वर्ष में रुपये 1.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 - 2

लोक अभियोजन के अंतर्गत पेट्रोल एवं किराया एवं महसूल मद खोला जाना है, इन मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 10.50 लाख का व्यय संभावित है। व्यय संभावित बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

इंटीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग काम्प्लेक्स योजना के अंतर्गत कार्यालय उपकरण मद उपलब्ध न होने के कारण यह मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

महिला अपराध सेल का गठन योजना के अंतर्गत मशीन उपकरण मद उपलब्ध न होने के कारण यह मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठन योजना के अंतर्गत कार्यालय फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण मद उपलब्ध न होने के कारण यह मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

ऑटोमेटि स्वचलित अंगुल चिन्ह योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार मद उपलब्ध न होने के कारण यह मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 8

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत नगर सेना के आधुनिकीकरण हेतु अन्य प्रभार मद में वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 9

म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम के माध्यम से आवासगृहों का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 81.90 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 81,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

मंत्री बंगलों की साज-सज्जा कार्य हेतु अन्य प्रभार मद में वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 45.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

वर्ष 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों में दंगा पीड़ितों को सम्पत्ति की नुकसानी क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से प्रदाय अग्रिम राशि रुपये 7,91,90,387 की प्रतिपूर्ति की जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 7,91,90,387 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सैनिक सम्मेलन हेतु पूर्व में दिये गये आकस्मिकता निधि से प्रदाय अग्रिम राशि रुपये 3.00 करोड़ को समायोजित किया जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

मुम्बई स्थित इडवर्ड विला भवन को अतिमहत्वपूर्ण अतिथि गृह में परिवर्तन करने एवं मरम्मत कार्य हेतु राशि रुपये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2075

मद क्रमांक 2

संचालक पंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय में मशीनरी /उपकरणों की मरम्मत के लिये मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय/ में मशीनरी उपकरणों की मरम्मत के लिये मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

जिला स्थापना योजना अंतर्गत सहायता अनुदान अन्य में राशि वापसी हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

कृषि वानिकी हेतु उप मिशन अंतर्गत राशि रुपये 4.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विश्व बैंक सहायित नवीन योजना इको सिस्टम सर्विसेज इम्पूवमेंट प्रोजेक्ट हेतु प्रतीक प्रावधान वांछित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 15

वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास योजना अंतर्गत विभिन्न मदों में राशि रुपये 27.93 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1 - 12

रोजगार तथा प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा, आतिथ्य पर व्यय, सेमीनार, वाहनों का क्रय, परिवहन व्यवस्था एवं लघु निर्माण कार्य, अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

नेशनल केरियर सर्विसेज के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में रोजगार कार्यालयों की इंटरलिंगिंग के संबंध में जाब फेयर आयोजित करने हेतु इंटरलिंगिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की नवीन योजना खोलते हुये राशि रुपये 102.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 14

एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सहायता हेतु राशि रुपये 17.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत सहायता हेतु राशि रुपये 65.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत सहायता हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6851

मद क्रमांक 17

नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु ए.के.व्ही.एन. को सहायता अंतर्गत एन्यूटी के भुगतान हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

निः शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 256.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,56,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

टैरिफ सब्सिडी हेतु अनुदान के रूप में राशि रुपये 300.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 3

प्रदेश को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन मुक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के अंतर्गत राशि रुपये 441.71 करोड़ की राशि धनवेधन के रूप में व्यय होना संभावित है। इसमें रुपये 377.29 करोड़ की राशि कृषक अनुदान योजना से समर्पित की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,41,71,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 4

जायका जापान सहायित बाह्य पोषित पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना हेतु राशि रुपये 100 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत राशि रुपये 36.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय नवीन खाद एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला योजना अंतर्गत राशि रुपये 45.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत राशि रुपये 845.89 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,45,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्रों के लिये विशेष सहायता टॉप-अप अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 60.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 14 |
| मुख्य शीर्ष | 2403 |

मद क्रमांक 1 - 2

पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पशुपालन विभाग के अंतर्गत मुर्गीपालन विकास प्रक्षेत्र हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 15 |
| मुख्य शीर्ष | 2215 |

मद क्रमांक 1

समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित निर्मल भारत अभियान योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 400.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 2216 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 2

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 375.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,75,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 2225 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संचालित आश्रम शालाओं में बढ़ी हुई सीट्स एवं बढ़ी हुई शिष्यवृत्ति की दरो हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 2154.73 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,54,73,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 2235 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 4

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1728.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,28,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 6

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को तहत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1096.94 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,96,94,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 7

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 862.10 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,62,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ब्लू रिवालयूशन अंतर्गत इंटीग्रेटेड डेव्हलपमेंट एवं मनेजमेन्ट योजना अंतर्गत राशि रुपये 14.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 1

सहकारिता विभाग के अंतर्गत भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्जे हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम की धारा 9(8) अनुसार मण्डल द्वारा नियोजकों से प्राप्त अंशदान के समतुल्य राज्य शासन का अंशदान देय है। मण्डल निधि से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, विवाह हेतु सहायता, श्रमिक खेलकूद, वाचनालय, कल्याण केन्द्रों का संचालन का कार्य किया जाना है। इस निधि में वर्ष के दौरान राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

लोक सेवा केन्द्र के अंतर्गत राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन को डिक्रीधन के भुगतान के लिये वर्ष के दौरान रुपये 8,62,300 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,62,300 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

लोक सेवा केन्द्रों के अधूरे पड़े भवनों के निर्माण के लिये वर्ष के दौरान रुपये 4.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

तीन निर्माण उप संभाग की स्थापना अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मण्डल की स्थापना का व्यय अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 3

सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 65.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना शिवपुरी अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 15.76 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 400.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

नवीन वृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत गरोठ वृहद परियोजना जिला मंदसौर रुपये 36020.00 लाख की लागत से क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

निम्नांकित नवीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | योजना का नाम | लागत | सिंचाई क्षमता | (राशि लाख में) | |
|------|------|--------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | | | सिंचाई क्षमता हे.में प्रति हे. लागत | अनुदान की राशि |
| 1. | सतना | रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना | 38708.00 | 20000 | 1.94 | 100 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

निम्नांकित नवीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | योजना का नाम | लागत | सिंचाई क्षमता | (राशि लाख में) | |
|------|------|--------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | | | सिंचाई क्षमता हे.में प्रति हे. लागत | अनुदान की राशि |
| 1. | रीवा | नईगढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना | 85604.00 | 50000 | 1.71 | 100 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

बीना परियोजना अंतर्गत रुपये 125.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मोहनपुरा परियोजना अंतर्गत रुपये 220.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 6

पवई मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 30.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मझगावां मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

हिरन मध्यम नवीन सिंचाई परियोजना जिला जबलपुर राशि रुपये 225.99 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जूडी मध्यम नवीन सिंचाई परियोजना जिला छतरपुर/दमोह राशि रुपये 240.24 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

साजली मध्यम नवीन सिंचाई परियोजना जिला दमोह राशि रुपये 366.00 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

बघराजी नहर परियोजना जिला जबलपुर राशि रुपये 3342.47 लाख की लागत से क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

गैर आदिवासी क्षेत्र की निम्नांकित मध्यम सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | योजना का नाम | लागत | सिंचाई क्षमता | (राशि लाख में) | |
|------|--------|---------------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | सिंचाई क्षमता हे.में प्रति हे. | अनुदान की राशि |
| 1. | विदिशा | टेम मध्यम सिंचाई परियोजना | 38315.00 | 9990.00 | 384 | 100 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

पारस डोह मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

वृहद् पुलों का निर्माण अंतर्गत निम्नानुसार 12 पुलों के कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लागत | अनुदान राशि |
|------|--------|--|--------|-------------|
| 1. | इंदौर | इंदौर जिले में व्यासखेड़ी टिगरिया मार्ग पर ग्राम व्यासखेड़ी के पास क्षिप्रा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 467.03 | 100 |
| 2. | रायसेन | रायसेन जिले में बम्होरी से जूनिया मार्ग में गजन्दा नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण | 321.31 | 100 |
| 3. | विदिशा | विदिशा जिले में खेड़खेड़ीधाम से लहारपुर मार्ग | 444.67 | 100 |

| | | | | |
|-----|--------|--|---------|------|
| 4. | सागर | पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से देवरी नरयावली मार्ग में कडान नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 317.62 | 100 |
| 5. | सागर | सागर जिले में बरौदिया बीकौरकला धामोनी मार्ग के कि.मी. 6/8-10 में जामनी नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल निर्माण | 345.47 | 100 |
| 6. | सीहोर | सीहोर जिले में हनुमान फाटा से ईदगाह के बीच हनुमान फाटा पर सीवन नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 374.96 | 100 |
| 7. | सीहोर | सीहोर जिले में ग्राम कुरावर में अरोलिया से कुरावर मार्ग पर दुधी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 308.87 | 100 |
| 8. | सीहोर | सीहोर जिले में सिद्धीगंज से खाचरोद सिद्धगंज मार्ग पर पार्वती नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 318.66 | 100 |
| 9. | सागर | सागर जिले के खुरई उपजेन से दानखेड़ी मार्ग के कि.मी. 6/8-10 में बीना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 679.82 | 100 |
| 10. | रतलाम | रतलाम जिले में बांजना बांसवाड़ा मार्ग के कि.मी. 9/6-8 में तेलनी नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 381.57 | 100 |
| 11. | भोपाल | भोपाल औबेदुल्लागंज रेहटी रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं पहुंच मार्ग हेतु युटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य | 303.82 | 100 |
| 12. | खण्डवा | खण्डवा जिले में ओंकारेश्वर के पास नागर घाट के पास नर्मदा नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | 1652.75 | 100 |
| योग | | | 5916.55 | 1200 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सड़कों के निर्माण की संचालित परियोजनाओं हेतु रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) अंतर्गत निम्नांकित 15 नवीन कार्यों को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लंबाई लागत कि.मी. | अनुदान राशि |
|------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | सीहोर | तजपुरा स्टेण्ड से चिचलाहा कला मार्ग | 1.70 | 116.21 100 |
| 2. | सीहोर | हाल्याखेड़ी से भोजपुर टप्पा मार्ग | 3.00 | 223.56 100 |
| 3. | सीहोर | टीकामोड़ा से बावड़ीखेड़ा मार्ग | 1.50 | 174.62 100 |
| 4. | सीहोर | जोशीपुर से नर्मदाघाट मार्ग | 0.90 | 144.75 100 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-------|---------|------|
| 5. | सीहोर | मुख्य मार्ग से बगवाड़ा मार्ग | 1.30 | 207.14 | 100 |
| 6. | रायसेन | झिरिया तालुका चौका से खेरी तालुका चौका तम मार्ग का निर्माण | 13.10 | 801.34 | 100 |
| 7. | रायसेन | उषापुर से एस.एच. 15 पर पडरिया खुर्द तिगड्डे तक मार्ग का निर्माण | 5.30 | 329.20 | 100 |
| 8. | रायसेन | पडरिया हिम्मतसिंह से खमरिया मानपुर तक मार्ग | 3.00 | 185.85 | 100 |
| 9. | रायसेन | एस.एच. 15 वेयर हाउस के पास से कुण्डाली से खिरका घाटी में मुख्यमंती सड़क तक मार्ग का निर्माण | 5.30 | 329.82 | 100 |
| 10. | रायसेन | वीकलपुर कुंअरखेड़ी बाड़ादेवरी मुआरटोला से डुगरिया मार्ग तक सड़क निर्माण | 9.55 | 635.57 | 100 |
| 11. | रायसेन | थाला दिघवान से शोकलपुर तक मार्ग का निर्माण | 6.64 | 418.28 | 100 |
| 12. | रायसेन | एस.एच. 44 से सोजनी छिंद छिकरा तक मार्ग का निर्माण | 13.30 | 910.82 | 100 |
| 13. | रायसेन | बेगमगंज सागर मार्ग से झिरिया मंदिर गोपालपुरा बेगमगंज हेदरगढ़ मार्ग तक सड़क का निर्माण | 9.20 | 573.75 | 100 |
| 14. | दमोह | सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत फतेहपुर भिलौनी मडियादो मार्ग पर विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य | | 142.10 | 100 |
| 15. | टीकमगढ़ | सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत निवाड़ी से सेंदरी मार्ग पर विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य | | 136.30 | 100 |
| योग | | | 73.79 | 5329.31 | 1500 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन अंतर्गत राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ग्रामीण सड़कों के निर्माण अंतर्गत निम्नानुसार 59 नवीन सड़क कार्यों को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लंबाई लागत कि.मी. | अनुदान राशि | |
|------|-----------|---|----------------------|----------------|-----|
| 1. | रायसेन | बटेरा बम्होरी मार्ग से गहलवानी त्रिलोक चन्द सिवनी मार्ग | 10.20 | 530.41 | 100 |
| 2. | रायसेन | उमरझिर सिंगोटा से पिपलिया केवट मार्ग | 7.35 | 553.51 | 100 |
| 3. | रायसेन | घाटखेड़ी से मडियापगारा मार्ग | 3.55 | 216.86 | 100 |
| 4. | रायसेन | बेरखेड़ी से हलाली डेम मार्ग | 8.44 | 483.02 | 100 |
| 5. | रायसेन | बराहा से घानाखेड़ी जसरथी मार्ग | 8.20 | 513.06 | 100 |
| 6. | सीहोर | इटवार से सत्तामउ मार्ग | 2.40 | 236.27 | 100 |
| 7. | सीहोर | गिल्लोर से सेमलपानी मार्ग | 5.50 | 503.20 | 100 |
| 8. | बुरहानपुर | परेठा से गोंदरी मार्ग | 4.50 | 490.18 | 100 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|-------|---------|-----|
| 9. | इंदौर | धमनाय पहुंच मार्ग | 2.00 | 249.53 | 100 |
| 10. | मंदसौर | सगोनिया मार्ग से गुराडिया माता मार्ग | 3.00 | 513.05 | 100 |
| 11. | मंदसौर | बरखेड़ा लोया से बासगोन मार्ग | 2.50 | 394.16 | 100 |
| 12. | मंदसौर | चांदखेड़ी से सगोरिया मार्ग | 2.80 | 286.64 | 100 |
| 13. | मंदसौर | हनुमंतिया से गरोठ रेल्वे स्टेशन | 4.50 | 342.01 | 100 |
| 14. | मंदसौर | देथली बुजुर्ग से डलमु मगरा चचावदा जलमु मार्ग | 5.56 | 754.31 | 100 |
| 15. | मंदसौर | लसुडिया से खेरखेड़ा मोलाखेड़ी मिसिंग लिंक मार्ग | 3.60 | 332.02 | 100 |
| 16. | रतलाम | धराड़ से बदनारा फण्टा मार्ग | 5.80 | 428.74 | 100 |
| 17. | पन्ना | मोहन्द्रा गोल्ही पलोही मार्ग | 6.60 | 314.71 | 100 |
| 18. | कटनी | गोपालपुर सगमा अतरसूमा सिलौण्डी मार्ग | 6.80 | 447.54 | 100 |
| 19. | कटनी | कछारगांव बसरहा हल्का मार्ग | 6.20 | 586.98 | 100 |
| 20. | रतलाम | ग्राम खजुरिया से बीरपुरा मार्ग | 3.50 | 142.50 | 100 |
| 21. | रतलाम | पटन रोड़ से खेड़ी मार्ग | 3.40 | 199.83 | 100 |
| 22. | रतलाम | शेरपुरखुर्द से आनन्दगढ़ लुनी मार्ग | 10.00 | 653.56 | 100 |
| 23. | रतलाम | दौलतगंज से आबुपुरा मार्ग | 3.50 | 219.89 | 100 |
| 24. | सीहोर | पडल्या से इमलाड़ा मार्ग | 2.50 | 266.22 | 100 |
| 25. | सीहोर | मण्डी मार्ग (बिजला) से रामनगर मार्ग | 3.80 | 325.59 | 100 |
| 26. | सीहोर | मुख्य मार्ग से सेमलपानी मार्ग | 1.20 | 157.66 | 100 |
| 27. | सीहोर | मुख्य मार्ग से चींटीखेड़ा मार्ग | 3.40 | 431.09 | 100 |
| 28. | सीहोर | इटावा से गिलहरी मार्ग | 3.50 | 169.63 | 100 |
| 29. | सीहोर | जमुनिया कला से बगवाड़ा मार्ग का उन्नयन | 3.50 | 323.16 | 100 |
| 30. | सीहोर | आमोन बांसगहन खिरियाकुर्मी मार्ग का उन्नयन | 7.50 | 551.22 | 100 |
| 31. | सीहोर | पीलीकरार से महुकला मार्ग | 2.50 | 223.43 | 100 |
| 32. | मंदसौर | गरोठ मेलखेड़ा रोड़ से गज्जाखेड़ी पहुंच मार्ग | 4.00 | 338.67 | 100 |
| 33. | मंदसौर | खजूरी पंथ कालाखेड़ा मार्ग से सुराखेड़ी पहुंच मार्ग | 3.00 | 282.25 | 100 |
| 34. | मंदसौर | बोलिया से दाता का खेड़ा मार्ग | 2.00 | 168.01 | 100 |
| 35. | मंदसौर | बोलिया गरोठ रोड़ कि.मी. 5/2 से रावटी मार्ग | 3.80 | 295.32 | 100 |
| 36. | अनूपपुर | बम्हनी से केशवानी मार्ग | 5.00 | 378.07 | 100 |
| 37. | अनूपपुर | अहिरगावां केलमनिया शहडोल मार्ग | 3.10 | 261.45 | 100 |
| 38. | सीहोर | तजपुरा से काकरिया व्हाया चकल्दी कोटरा मार्ग | 5.00 | 304.26 | 100 |
| 39. | सीहोर | तजपुरा महुगोरा चकल्दी मार्ग | 2.00 | 137.02 | 100 |
| 40. | सीहोर | मुख्य मार्ग से मछवई मार्ग | 1.20 | 136.00 | 100 |
| 41. | सीहोर | खवादा से डोबी ग्राम तक मार्ग | 3.00 | 189.48 | 100 |
| 42. | सीहोर | नोमटोन से डुंगरिया मार्ग | 2.00 | 160.29 | 100 |
| 43. | मुरैना | राजोदा से भर्रा होते हुये ग्राम सुजानगढ़ी तक रोड निर्माण | 6.04 | 442.58 | 100 |
| 44. | कटनी | भुड़सा से संगमटोला मार्ग | 6.40 | 309.65 | 100 |
| 45. | कटनी | कुदरा से मोहदा मार्ग | 3.30 | 216.60 | 100 |
| 46. | कटनी | खमरिया से आमाझाल मार्ग | 2.80 | 194.62 | 100 |
| 47. | कटनी | कुदरा से भुड़सा मार्ग | 4.80 | 298.30 | 100 |
| 48. | कटनी | ग्राम पहरूआ से पुल तक मार्ग | 1.70 | 100.71 | 100 |
| 49. | शहडोल | ग्राम खेरहनी से अटरिया तक मार्ग | 2.80 | 134.68 | 100 |
| 50. | शहडोल | ग्राम खेरहनी से घोरवे मार्ग | 10.60 | 554.28 | 100 |
| 51. | शहडोल | ग्राम मोहतरा से हर्राटोला मार्ग | 5.00 | 328.41 | 100 |
| 52. | कटनी | सिलौण्डी नेगई तिलमन मुकास खमरवानी देगांव | 24.10 | 1806.04 | 100 |

| | | | | |
|-----|---|--------|----------|------|
| | महगवां बीजापुरा मार्ग | | | |
| 53. | सीहोर डोबी खोहा मुरारी मुख्य नहर मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण | 7.30 | 1170.15 | 100 |
| 54. | सागर जमुनिया कनेरा बंडोन हनुमत पहाड़ी कुमरोल पिपरिया बसियास गोंडा मार्ग | 21.00 | 1347.39 | 100 |
| 55. | कटनी बिजयराघवगढव से कारीतलाई मार्ग | 17.00 | 2390.95 | 100 |
| 56. | धार सादलपुर केसूर मार्ग | 5.12 | 1101.42 | 100 |
| 57. | दतिया भगुआपुरा से आलमपुरा मार्ग | 8.80 | 1380.42 | 100 |
| 58. | बुरहानपुर बुरहानपुर हथनूर बहादुरपुर विरोड़ा पाडलिया मार्ग | 14.75 | 2416.88 | 100 |
| 59. | बुरहानपुर शाहपुर फोपनार संग्रामपुर मार्ग | 18.00 | 2971.49 | 100 |
| | योग | 341.41 | 31655.37 | 5900 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5900 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 200.00 करोड़ एवं रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है एवं विभाग के अंतर्गत इंदौर-एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन लागत रुपये 3974.98 लाख एवं लंबाई 16.70 कि.मी. का नवीन प्रस्तावित है। आवश्यकत राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत समारोह के आयोजन हेतु भाभरा में आयोजित शहीद चन्द्रशेखर आजाद कार्यक्रम के लिये राशि रुपये 16.00 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 16,00,00,000 एवं रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संस्कृति संचालनालय के स्थापना व्यय अंतर्गत संचालनालय की शिफ्टिंग हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संग्रहालय के अंतर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु राज्यांश राशि रुपये 175.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,75,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद को विकास अनुदान के अंतर्गत लोकमंथन-2016 आयोजित किये जाने हेतु राशि रुपये 8.55 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 8,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

शौर्य स्मारक के संचालन/संधारण संबंधी विशेषीकृत कार्यों के लिये अन्य प्रभार एवं व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियां हेतु राशि रुपये 75.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 29 |
| मुख्य शीर्ष | 2014 |

मद क्रमांक 1 - 2

म.प्र. महाधिवक्ता जबलपुर कार्यालय के उपयोगार्थ वर्ष के दौरान किराया, महसूल एवं कर तथा अभिभाषकों की फीस के भुगतान के लिये आकस्मिकता निधि से प्रदाय अग्रिम राशि रुपये 25.60 लाख की प्रतिपूर्ति की जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 25,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 30 |
| मुख्य शीर्ष | 2515 |

मद क्रमांक 1

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन मद में रुपये 125.00 करोड़ के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 4515 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 2

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी योजना मद में रुपये 50.00 करोड़ के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना मद में रुपये 200.00 करोड़ के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त नवीन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद में रुपये 10.00 करोड़ का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 31 |
| मुख्य शीर्ष | 3454 |

मद क्रमांक 1

स्थानीय विकास हेतु बुनियादी सांख्यिकी के लिये राशि वापस किये जाने हेतु राशि रुपये 46.07 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 32 |
| मुख्य शीर्ष | 2220 |

मद क्रमांक 1 - 3

जनसंपर्क विभाग को सूचना और प्रचार के अंतर्गत राज्य शासन के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया एवं विज्ञापन एवं प्रचार के लिये कुल राशि रुपये 32.63 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी हेतु राशि रुपये 13.87 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विशेष अवसरों पर विज्ञापन एवं प्रचार के लिये कुल राशि रुपये 55.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार के लिये कुल राशि रुपये 1.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना हेतु राशि रुपये 19.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 2

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 35
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये नई योजना अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद खोलते हुये प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36
मुख्य शीर्ष 2041

मद क्रमांक 1

आकस्मिकता निधि से अग्रिम समायोजन हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5055

मद क्रमांक 2

म.प्र. इन्टरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हेतु राशि रुपये 9.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37
मुख्य शीर्ष 3452

मद क्रमांक 1

पूँजीगत अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

खाद्य विभाग के अंतर्गत आयोडिन युक्त नमक का वितरण योजना हेतु राशि रुपये 16.38 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

खाद्य विभाग के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत राशि रुपये 72.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

खाद्य विभाग के अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर शासन से अनुदान योजना हेतु राशि रुपये 98.76 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 98,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40
मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण अंतर्गत 03 जिलों में कक्षा-9 से 12वी. हेतु छात्रावास/अधोसंरचना सी.डब्ल्यू.एस.एन. हेतु नवीन मदों के लिये राशि रुपये 300/- का प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

लोक शिक्षण अंतर्गत 06 जिलों में हॉयर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण योजना हेतु नवीन मदों के लिये राशि रुपये 600/- का प्रतीक प्रावधान

शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1 - 2

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के पोलिटेकनिक के उन्नयन हेतु पूर्व वर्ष की व्यपगत राशि जो उपकरण, आधुनिक मशीन एवं संयंत्र एवं ई-लर्निंग पर रुपये 32.75 लाख का व्यय किया जाना है। तथा प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त पूर्व वर्ष की व्यपगत राशि रुपये 3.49 लाख का व्यय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 36.24 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भारत ,सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय अंतर्गत विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 5.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 5.00 लाख राज्यांश के रुप में कुल रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 4 - 5

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित जिला चिकित्सालयों में पदस्थ अमले के वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 637.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,37,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

भारत सरकार आयुष मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन योजना अंतर्गत औषधि क्रय किये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 1,76,21,000/- केन्द्रांश एवं रुपये 1,17,47,000/- राज्यांश के रुप में कुल रुपये 2,93,68,000/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,93,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र - छात्राओं को शिष्यवृत्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 76.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 8

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत अपना उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु आदिवासी वित्त विकास निगम के माध्यम से अनुदान एवं बैंक से ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 57.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों / आश्रमों में प्रवेश न पा सकने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्र गृह योजना संचालित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 2000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

योजनाओं का अनुश्रवण / मूल्यांकन / सर्वेक्षण योजना अंतर्गत राज्य द्वारा संचालित प्रवर्तित योजनाओं के सतत अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु 5 वाहनो का प्रतिस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 37.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं 1995 के तहत दी जाने वाली राहत राशियों की दरों में वृद्धि की गई है। केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 300.00 लाख की प्रावधानित राशि के अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 12

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, नगर निगम स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 110.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, नगर पालिका स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 205.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,05,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, नगर पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 260.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 15

भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन योजना हेतु विगत वर्ष की व्यपगत राशि का पुनर्वैधता जारी की गई है तथा वर्ष 2016-17 की प्रथम किश्त जारी की है। केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 35.45 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 16

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों के ग्रामों का पुर्नवास एवं विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों के अर्जन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में रुपये 2160.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 17

प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों के संधारण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 4500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 18

म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम के माध्यम से आवासगृहों का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत राशि रुपये 27.30 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 19

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित भवन विहीन उच्चतर माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 1400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में रुपये 8.07 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में राशि रुपये 8.07 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,07,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 21

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित भवन विहीन क्रीड़ा परिसरों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 4000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

आदिवासी छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित भवन विहीन आश्रम शाला के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 1300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों की विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण योजना में पूंजीगत मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 की व्ययगत राशि के लिये रुपये 76.41 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,41,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 25

केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रों में नवीन मार्गों एवं नवीन पुलों के निर्माण हेतु 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 15500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,55,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 26

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बरखेडा मध्यम परियोजना जिला धार लागत रु. 30856.00 लाख से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना जिला डिण्डोरी लागत रु. 34810.00 लाख से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कारम मध्यम परियोजना जिला धार लागत रु. 30444.00 लाख से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 29

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं के निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | योजना का नाम | जिला | लागत (रु. लाखों में) |
|------|----------------|-------|----------------------|
| 1. | बडी संगत तालाब | झाबुआ | 198.06 |
| 2. | बलकुण्डा तालाब | धार | 602.42 |

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|---------|
| 3. | बसनायरकला तालाब | बैतूल | 809.98 |
| 4. | चिखली बैराज | बड़वानी | 419.27 |
| 5. | धमनिया बैराज | बड़वानी | 410.69 |
| 6. | गुप्तगंगा तालाब | मंडला | 869.90 |
| 7. | जूनापानी बैराज | बड़वानी | 419.54 |
| 8. | खट्टी बैराज | बड़वानी | 453.77 |
| 9. | पसावड़ा बैराज | धार | 401.85 |
| 10. | कुण्डापुरा बैराज | रतलाम | 339.85 |
| 11. | बड़वाही तालाब | उमरिया | 550.97 |
| 12. | गाड़ीकटराकला तालाब | रतलाम | 277.40 |
| 13. | मकोड़िया रून्दी तालाब | रतलाम | 452.26 |
| 14. | संसार तालाब | रतलाम | 690.91 |
| 15. | अम्बापाड़ा (वहेड़ी खोड़ा) तालाब | रतलाम | 452.67 |
| 16. | भूतापाड़ा तालाब | रतलाम | 265.34 |
| 17. | बागधानारा तालाब | उमरिया | 348.85 |
| 18. | कुण्डियानाला बैराज | धार | 672.06 |
| 19. | खेड़ी तालाब | धार | 2937.54 |
| 20. | भानपुर तालाब | मंडला | 1264.04 |
| 21. | बड़वानी तालाब | मंडला | 1601.62 |
| 22. | सुसारी तालाब | बड़वानी | 3128.80 |
| 23. | नागझीरी तालाब | बैतूल | 2264.02 |
| 24. | झीरियानाला तालाब | शहडोल | 2262.45 |
| 25. | खपराकला तालाब | छिंदवाड़ा | 2643.25 |
| 26. | सेहिया तालाब | छिंदवाड़ा | 1742.78 |
| 27. | कटराटोला तालाब | मंडला | 2042.87 |
| 28. | मारखीदेवी तालाब | शहडोल | 3493.88 |
| 29. | सरन्देई गोरखार तालाब | बैतूल | 645.15 |
| 30. | ब्राम्हणवाड़ा | बैतूल | 933.49 |
| 31. | कर्मला बैराज | बड़वानी | 434.30 |
| 32. | घेगांव बैराज | बड़वानी | 389.98 |
| 33. | छिरालिया बैराज | बड़वानी | 389.62 |
| 34. | घुड़चल बैराज | बड़वानी | 402.51 |

उपरोक्त योजनाओं हेतु प्रतीक प्रावधान तथा इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 5531.13 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,31,13,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित पुलों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है:-

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लागत (रु.लाख में) |
|------|----------|---|-------------------|
| 1. | सिंगरौली | सिंगरौली जिले में म्यार नदी पर गहिंदर मभौरा गरियार पहुंच मार्ग पर जलमग्नीय पुल का निर्माण | 175.75 |

| | | | |
|----|-----------|---|---------|
| 2. | डिंडोरी | डिंडोरी जिले में शाहपुर बालपुर रामगढ़ मार्ग पर ग्राम धनवाही एवं भपसा के बीच सुखमेर नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 304.72 |
| 3. | अनुपपुर | अनुपपुर जिले के बाबाकुटी से बकेली मार्ग के कि.मी. 1/4 में सोन नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 541.02 |
| 4. | मंडला | मंडला जिले में ठरका टिकरवारा हिरदेनगर मार्ग के कि.मी. 5/2 में बंजर नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण | 1154.29 |
| 5. | बुरहानपुर | बुरहानपुर जिले में माजरोदकला से दर्यापुर (नयाखेड़ा) मार्ग पर ताप्ती नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण | 1441.22 |
| 6. | सीधी | सीधी जिले में के सरौधा बारपान भैसहुन मार्ग के कि.मी. 10/8 में गोपद नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण | 1248.93 |
| 7. | अनुपपुर | अनुपपुर जिले में अनुपपुर शहर में फ्लॉय ओव्हर (रेल यार्ड के क्रासिंग क्र. बी.के 61 के रेल्वे कि.मि. 868/17-19 (बिलासपुर कटनी रेलखण्ड) का निर्माण | 2103.95 |

उपरोक्त कार्यों पर आदिवासी क्षेत्रों उपयोजना अंतर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | (राशि लाख में) | |
|------|---------|--|----------------|--------|
| | | | लंबाई | लागत |
| 1. | झाबुआ | पेटलावद साई मंदिर से माननीय न्यायालय भवन व्हाया ब्लाक कालोनी मार्ग | 3.00 | 177.45 |
| 2. | झाबुआ | गरवाखेड़ी से सेमरोड़ पहुंच मार्ग | 2.70 | 166.94 |
| 3. | झाबुआ | खरडु बड़ी से रोटला मार्ग | 6.02 | 392.27 |
| 4. | डिंडोरी | चिचरिंगपुर से पाकर बघर्रा मार्ग | 5.50 | 308.88 |
| 5. | झाबुआ | पेटलावद पुल से कालेज मार्ग | 1.94 | 294.28 |
| 6. | झाबुआ | एन.एच.59 माछलिया से मृगारूण्डी मार्ग | 4.73 | 566.08 |
| 7. | झाबुआ | रजला मेन रोड़ से वागलावाट मोहन्या मार्ग | 4.18 | 398.53 |
| 8. | उमरिया | पनपथा चंसुरा इंदवार पड़खुरी मार्ग का उन्नतीकरण | 21.60 | 971.28 |
| 9. | उमरिया | धमोखर मुख्य मार्ग (एम.पी.आर.डी.सी.) से मरदरी मोहड़ी मार्ग | 7.20 | 436.67 |
| 10. | उमरिया | महामन से मैरी मार्ग | 5.50 | 329.50 |
| 11. | अनूपपुर | सिंदूरी से मौहारी पहुंच मार्ग | 7.60 | 336.67 |
| 12. | अनूपपुर | बोदा से लखौरा मार्ग | 12.00 | 998.53 |
| 13. | अनूपपुर | बरटोला से सकरा मार्ग | 3.50 | 169.07 |
| 14. | अनूपपुर | संजय नगर से सकोला मार्ग | 3.00 | 155.63 |
| 15. | अनूपपुर | मुख्य मार्ग से नगदहा मार्ग | 3.20 | 156.05 |
| 16. | अनूपपुर | जैतहारी आदर्श ग्राम सिवनी से धनगवां (पूर्वी) मार्ग | 3.32 | 177.40 |
| 17. | बैतूल | जीन से अटारी मार्ग | 3.10 | 269.24 |
| 18. | शहडोल | बरूका जरवाही सेमरिहा मैकी मार्ग | 8.00 | 429.94 |
| 19. | डिंडोरी | कठौतिया रनगांव व्हाया संग्रामपुर मार्ग | 4.40 | 248.93 |
| 20. | डिंडोरी | बटोंधा जामगांव से रानीदादर होते हुये अमाल आश्राम मार्ग | 4.40 | 245.06 |
| 21. | डिंडोरी | लुगदरा भमियनटोला रानीदादर मार्ग | 3.80 | 211.04 |

| | | | | |
|-----|---------|---|-------|---------|
| 22. | डिंडोरी | करही दुल्लोपुर मार्ग | 3.50 | 203.41 |
| 23. | धार | लबरावदा गरडावदा बिलोद तीसगांव खेरोद मार्ग | 18.00 | 1345.99 |
| 24. | उमरिया | दुलहरी से रानीदादर मार्ग | 5.00 | 479.04 |
| 25. | उमरिया | करही सिलौंजी दुल्लुपुर मार्ग | 3.60 | 311.42 |
| 26. | उमरिया | बरहाई से देवरी अमहाई मार्ग | 6.00 | 499.74 |

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 43 |
| मुख्य शीर्ष | 2204 |

मद क्रमांक 1

बॉक्सिंग डे-बोर्डिंग फीडर सेंटर ग्वालियर की स्थापना हेतु नवीन मद में राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 44 |
| मुख्य शीर्ष | 2202 |

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी को पेन्डींग बिलों के भुगतान हेतु राशि रुपये 13.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 6202 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 2

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त/शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 45 |
| मुख्य शीर्ष | 4702 |

मद क्रमांक 1

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजना अंतर्गत राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है एवं निर्मांकित 63 नवीन परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी आवश्यकताओं की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

(राशि लाख में)

सिंचाई क्षमता हे. में

| क्र. | जिला | योजना का नाम | लागत | सिंचाई क्षमता | अनुपूरक अनुदान की राशि |
|------|---------|----------------------|--------|---------------|------------------------|
| 1. | राजगढ़ | बरखेड़ी तालाब | 942.99 | 330 | 100 |
| 2. | शाजापुर | भैरूघाटा वियर | 647.58 | 390 | 100 |
| 3. | राजगढ़ | भोजपुरिया बैराज | 340.96 | 230 | 100 |
| 4. | शाजापुर | धोलापुर हपखेड़ा वियर | 755.79 | 760 | 100 |
| 5. | टीकमगढ़ | गुजरियाघाट वियर | 404.65 | 280 | 100 |
| 6. | राजगढ़ | झीरी तालाब | 397.16 | 135 | 100 |
| 7. | विदिशा | मिठौली बैराज | 789.89 | 465 | 100 |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|---------|------|-----|
| 8. | मंदसौर | मोलियाखेड़ी बैराज | 516.80 | 340 | 100 |
| 9. | राजगढ़ | सेमलापार बैराज | 361.37 | 315 | 100 |
| 10. | मंदसौर | सेमली बैराज | 464.65 | 310 | 100 |
| 11. | धार | केलपाड़ा बैराज | 307.04 | 180 | 100 |
| 12. | उज्जैन | धुलमउ तालाब | 326.30 | 110 | 100 |
| 13. | भिण्ड | कचोनगंरा स्टापडेम | 595.97 | 350 | 100 |
| 14. | छिंदवाड़ा | जमलापानी तालाब | 289.97 | 85 | 100 |
| 15. | छिंदवाड़ा | सेन्दुरजाना तालाब | 862.20 | 290 | 100 |
| 16. | छिंदवाड़ा | पंधोनी तालाब | 795.51 | 235 | 100 |
| 17. | रतलाम | बनीखेड़ी (मीनाखेड़ी) बैराज | 865.83 | 500 | 100 |
| 18. | रतलाम | ठिकरिया बैराज | 290.63 | 170 | 100 |
| 19. | शाजापुर | धिनका बैराज | 830.02 | 500 | 100 |
| 20. | शाजापुर | वाजीपुर बैराज | 987.16 | 660 | 100 |
| 21. | मुरैना | खेरिया लल्लन स्टापडेम | 558.26 | 335 | 100 |
| 22. | मुरैना | नाका स्टापडेम | 778.24 | 470 | 100 |
| 23. | मुरैना | परिच्चा स्टापडेम | 702.16 | 415 | 100 |
| 24. | राजगढ़ | गडरियाखेड़ी बैराज | 124.04 | 75 | 100 |
| 25. | शाजापुर | मेघाखेड़ी बैराज | 807.33 | 480 | 100 |
| 26. | शाजापुर | बोल्डा वियर | 598.23 | 345 | 100 |
| 27. | उज्जैन | धमनियाखेड़ी तालाब | 221.21 | 80 | 100 |
| 28. | शाजापुर | दीवानखेड़ी वियर | 236.83 | 140 | 100 |
| 29. | रायसेन | शाहपुर बैराज | 222.74 | 140 | 100 |
| 30. | विदिशा | सगड़ नदी पर बैराजों की श्रंखला | 848.40 | 505 | 100 |
| 31. | राजगढ़ | अमलाबे तालाब | 1019.35 | 400 | 100 |
| 32. | सागर | जमूनियागोंड तालाब | 2201.33 | 715 | 100 |
| 33. | अनुपपूर | पिपरिया तालाब | 2624.65 | 840 | 100 |
| 34. | शाजापुर | धोबीघाट वियर | 1052.17 | 680 | 100 |
| 35. | सागर | भगवंतपुरा तालाब | 3186.35 | 920 | 100 |
| 36. | सागर | मदनी तालाब | 1175.84 | 370 | 100 |
| 37. | रायसेन | बीरपुर तालाब | 1296.42 | 375 | 100 |
| 38. | सिवनी | छिन्दाटेल | 1034.59 | 365 | 100 |
| 39. | विदिशा | सेमलखेड़ी तालाब | 4309.34 | 1240 | 100 |
| 40. | सागर | मंसुरवारी एल.बी.सी. एक्सटेंशन | 1063.89 | 1000 | 100 |
| 41. | छिंदवाड़ा | बंधानी तालाब | 1141.51 | 345 | 100 |
| 42. | छिंदवाड़ा | केकड़ा तालाब | 1239.78 | 355 | 100 |
| 43. | देवास | भण्डारिया बैराज | 343.89 | 215 | 100 |
| 44. | बैतूल | घाटपिपरिया तालाब | 812.15 | 450 | 100 |
| 45. | देवास | जामेर बैराज | 351.34 | 220 | 100 |
| 46. | राजगढ़ | मालीपुरा तालाब | 617.44 | 240 | 100 |
| 47. | देवास | खेरखेड़ा तालाब | 334.00 | 245 | 100 |
| 48. | देवास | रातवे बैराज | 365.40 | 220 | 100 |
| 49. | देवास | पूरोनी बैराज | 265.34 | 200 | 100 |
| 50. | देवास | सेंडलपुर बैराज | 305.23 | 195 | 100 |
| 51. | रायसेन | पापड़ा बैराज | 148.01 | 90 | 100 |
| 52. | रायसेन | सईदपुर बैराज | 146.14 | 95 | 100 |

| | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|---------|-----|-----|
| 53. | बैतूल | कथी तालाब | 1060.79 | 310 | 100 |
| 54. | बैतूल | वालनी तालाब | 2084.36 | 600 | 100 |
| 55. | गुना | ब्रम्हपुरा तालाब | 329.50 | 110 | 100 |
| 56. | दमोह | भैन्सा स्टापडेम | 447.15 | 300 | 100 |
| 57. | रायसेन | बागोड बैराज | 782.24 | 555 | 100 |
| 58. | आगर | कलारिया तालाब | 788.28 | 235 | 100 |
| 59. | शाजापुर | बिन्या वियर | 490.20 | 280 | 100 |
| 60. | अशोकनगर | सावलहेडा वियर | 418.08 | 250 | 100 |
| 61. | अशोकनगर | खुटिया बामोरी वियर कम काजवे | 276.83 | 200 | 100 |
| 62. | अशोकनगर | बहादुरपुर वियर कम काजवे | 269.27 | 270 | 100 |
| 63. | सागर | बाबर मटिया नहर का विस्तार | 182.34 | 310 | 100 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं 6300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 46
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

स्टेट रेसीडेंट डाटा हब (एस.आर.डी.एच.) परियोजना अंतर्गत नागरिकों को बेहतर और प्रभावी सेवा प्रदान करने हेतु राशि रुपये 11.00 करोड़ का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मैप आईटी अंतर्गत जी.आई.एस. लैब की स्थापना योजना हेतु सेटैलाइट इमेजरी डेटा क्रय हेतु राशि रुपये 124.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत गैर सरकारी तकनीकी कॉलेज और संस्थाओं के अमले के वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिये राशि रुपये 3.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार की कम्युनिटी पोलिटेकनिक थ्रू योजना अंतर्गत 04 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 36.03 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 3

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आई.टी.आई. को मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन हेतु राज्यांश राशि रुपये 150.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 4

भारत सरकार की योजना अंतर्गत पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के छात्रावास भवन निर्माण हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 83.38 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 83,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

नर्मदा मालवा गंभीर लिंक उद्बहन योजना अंतर्गत राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नहरों से उद्बहन सिंचाई योजना की निम्नानुसार 6 नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है:-

| क्र. | कार्य का नाम | लागत |
|------|------------------------------------|--------------|
| 1. | बलकवाड़ा उद्बहन सिंचाई योजना | 123.69 करोड़ |
| 2. | चोंड़ी जामनिया उद्बहन सिंचाई योजना | 68.36 करोड़ |
| 3. | हरसूद उद्बहन सिंचाई योजना | 113.41 करोड़ |
| 4. | ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई योजना | 256.16 करोड़ |
| 5. | अम्बा-रोड़िया उद्बहन सिंचाई योजना | 138.29 करोड़ |
| 6. | नागलवाड़ी उद्बहन सिंचाई योजना | 856.97 करोड़ |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

माइक्रो सिंचाई परियोजना की निम्नांकित दो नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

| क्र. | कार्य का नाम | लागत |
|------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना | 516.11 करोड़ |
| 2. | सिमरोल आम्बाचंदन माइक्रो सिंचाई योजना | 59.13 करोड़ |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाइप लाईन योजना राशि रुपये 130.43 करोड़ की लागत से क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु वेतन भत्ते मद में मकान किराया हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा हेतु राशि रुपये 14.03 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,03,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना हेतु राशि रुपये 16.96 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन योजना हेतु राशि रुपये 8101.60 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 81,01,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित निर्मल भारत अभियान योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 484.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,84,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 2

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 447.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,47,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 3

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1546.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,46,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान

हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2590.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,90,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 5

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को तहत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2147.16 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,47,16,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 6

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1149.47 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,49,47,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54

मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को अनुदान हेतु राशि रुपये 34.80 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय को अनुदान हेतु राशि 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 3

केन्द्र क्षेत्रीय बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत परीक्षा एवं प्रशिक्षण, सामग्री पूर्ति एवं अन्य प्रभार मद अंतर्गत कुल राशि रुपये 153.85 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,53,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 24

केन्द्र क्षेत्रीय वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ग्रेड-पे, मजदूरी, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता, दूरभाष व्यय, बिजली एवं जल प्रभार, लेखन सामग्री एवं फार्मस, अन्य आकस्मिक व्यय, परामार्श सेवायें, सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, लघु निर्माण कार्य, अन्य एवं अन्य प्रभार मद में वर्ष 2016-17 में कुल राशि रुपये 364.35 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,64,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25 - 27

ग्राम कन्वर्जेन्स एवं सुविधा सेवा (व्ही.सी.एफ.एस.) अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिये मानदेय, सामग्री पूर्ति एवं अन्य प्रभार मद में कुल राशि रुपये 257.04 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,57,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 28

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 42.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 42,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 7.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हेतु अनुदान योजना हेतु नवीन मद में राशि 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण परियोजना हेतु समस्त तहसील में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर सामग्री का क्रय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 2 - 3

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के पोलिटेकनिक के उन्नयन हेतु पूर्व वर्ष की व्यपगत राशि जो उपकरण, आधुनिक मशीन एवं संयंत्र एवं ई-लर्निंग पर रुपये 58.35 लाख का व्यय किया जाना है। तथा प्रदेश में कम्प्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त पूर्व वर्ष की व्यपगत राशि रुपये 6.98 लाख का व्यय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 65.33 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय अंतर्गत विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 10.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 10.00 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित जिला चिकित्सालयों में पदस्थ अमले के वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 468.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,68,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भारत सरकार आयुष मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन योजना अंतर्गत औषधि क्रय किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1,00,75,000/- केन्द्रांश एवं रुपये 67,14,000/- राज्यांश के रूप में कुल रुपये 1,67,89,000/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,67,89,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दरों में वृद्धि की गई है, इस हेतु रुपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, नगर निगम स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 65.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, नगर पालिका स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 161.73 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,61,73,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत हितग्राहियों के लिये पेंशन में वृद्धि की गई है, नगर पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन राशि के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 230.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन योजना हेतु विगत वर्ष की व्यपगत राशि का पुर्नवैधता जारी की गई है तथा वर्ष 2016-17 की प्रथम किश्त जारी की है। केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 316.23 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,16,23,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 13

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत मछुआ हितग्राहियों को मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण निधि अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण कराये जाने के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 1.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 14

प्रदेश में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को रुपये 1.00 प्रति किलो के मान से गेहूँ एवं चावल का प्रदाय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 260.00 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 15

प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों के संधारण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 16

म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम के माध्यम से आवासगृहों का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राशि रुपये 20.80 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 17

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में रुपये 16.14 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 16.14 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,14,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 18

केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रों में नवीन मार्गों एवं नवीन पुलों के निर्माण हेतु 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 7500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 19

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित पुल का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है:-

| क्र. | जिला | कार्य का नाम | लागत (रु.लाख में) |
|------|------|--------------|-------------------|
|------|------|--------------|-------------------|

| | | | |
|----|----------|---|--------|
| 1. | सिंगरौली | सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम जीर के सिपाही बहरा जाने हेतु रामाधार वैश के घर के पास म्यार नदी में जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण | 132.22 |
|----|----------|---|--------|

उपरोक्त हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 132.22 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 65 |
| मुख्य शीर्ष | 2052 |

मद क्रमांक 1

विमानन संचालनालय के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था हेतु विमान/हेलीकाप्टरों के किराये के प्रक्रियाधीन लंबित देयकों एवं शेष माहों में संभावित व्यय का भुगतान करने हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 70 |
| मुख्य शीर्ष | 2203 |

मद क्रमांक 1

भारत सरकार की विश्वबैंक पोषित योजना अंतर्गत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम परियोजना का द्वितीय चरण विस्तारित किये जाने के कारण राज्यांश राशि रुपये 75.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 72 |
| मुख्य शीर्ष | 2210 |

मद क्रमांक 1 - 3

गैस राहत विभाग के अधिनस्थ संचालित आयुर्वेद होम्योपैथी एवं यूनानी औषधालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन ग्रेड-पे, मजदूरी एवं विद्युत हेतु राशि रुपये 1.60 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

गैस राहत विभाग के अंतर्गत एम.एल.एस. चिकित्सालय में परामर्श सेवायें, सफाई व्यवस्था एवं अन्य प्रभार हेतु राशि रुपये 10.15 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

गैस राहत विभाग के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में साफ-सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 19.93 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,93,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

गैस राहत विभाग के अंतर्गत एस.ए. के. चिकित्सालय गैस राहत में सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 7.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

गैस राहत विभाग के अंतर्गत पी.एम.सी. चिकित्सालय में साफ सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 11.19 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 73 |
| मुख्य शीर्ष | 2210 |

मद क्रमांक 1 - 2

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार तथा मटेरियल का क्रय हेतु राशि रुपये 876.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिजली हेतु राशि रुपये 4.30 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिजली, खपने वाला सामान एवं छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 26.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मांग संख्या | 74 |
| मुख्य शीर्ष | 2215 |

मद क्रमांक 1

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत निर्मल भारत अभियान योजना मद में रुपये 883.00 करोड़ के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,83,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 2216 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 2

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना मद में रुपये 548.00 करोड़ के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,48,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

| | |
|-------------|------|
| मुख्य शीर्ष | 2235 |
|-------------|------|

मद क्रमांक 3

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 33.25 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 43.17 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 5

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मद में रुपये 55.00 करोड़ के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 6

पंचायत विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित नवीन योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज त्रिस्तरीय पुरस्कार योजना अंतर्गत राशि रुपये 18.67 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,67,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नवीन किचन शेड डिवाइजेज (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) योजना मद में रुपये 2596.60 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,96,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नवीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना मद में रुपये 5.50 करोड़ का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2702

मद क्रमांक 9

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत पूर्व में परिचालित सामुहिक उद्बहन सिंचाई योजना अंतर्गत राशि रुपये 1,38,900 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,38,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 10

पंचायत विभाग के अंतर्गत जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 105.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

पंचायत विभाग के अंतर्गत सचिवीय व्यवस्था योजना हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

पंचायत विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 10000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु केन्द्रांश की राशि रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 2,4,6

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 14.25 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3,5,7

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 15.24 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 8

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय अंतर्गत राशि रुपये 65.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।